मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या–33/2013 (एम.ए.सी.पी. सं.59/2009)
सीताराम प्रजापति बनाम सरोज अग्रवाल आदि

06.07.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित आये।

प्रार्थी/याची सीताराम की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.03.2020 इस आशय से दिया गया है कि विपक्षी सरोज अग्रवाल ने आंशिक क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कर दी है, जिसे याची को दिये जाने की कृपा की जाये। प्रार्थी ने समर्थन में स्वयं का शपथपत्र भी प्रार्थनापत्र के समर्थन में दाखिल किया है, जिसमें उसने कथन किया है कि उसने माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की है न ही विचाराधीन है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद सं. 33/2013 सीताराम प्रजापति बनाम श्रीमती सरोज अग्रवाल अन्तर्गत धारा 174 एम.वी. एक्ट के अवलोकन से विदित होता है, कि एम.ए.सी.पी. सं. 59/2009 में पारित एवार्ड की धनराशि की वसूली कार्यवाही विपक्षीगण सं.1 श्रीमती सरोज अग्रवाल व विपक्षी सं.3 दलवीर सिंह के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से मय ब्याज मुब. 5,29,725/–रु. हेतु लंबित है, जिसके क्रम में विपक्षी सं.1 द्वारा मुब. 25,000/– रु. की धनराशि का ड्राफ्ट दाखिल करने का उल्लेख न्यायाधिकरण के आदेश दिनांकित–12.12.2019 में है। पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकन बाग, झॉसी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण में 25,000/–रु. दिनांक 18.12.2019 को उनके यहॉ जमा है। प्रार्थी ने अपने खाते की पासबुक की छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल की है। न्याय हित में प्रार्थी उक्त जमाशुदा धनराशि न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>आदेश</u>

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकन बाग, झॉसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. 59/2009 प्रकीर्ण वाद सं. 33/2013 के प्रकरण में निम्नानुसार धनराशि स्थानांतरित करें–

प्रार्थी/याची	धनराशि रुपयों मे	+ अर्जित ब्याज का %	अदायगी का तरीका	खाता संख्या	बैंक	IFSC
1. Sitaram	10000	40	RTGS/ NEFT	3671000101192197	Punjab National Bank	PUNB 0367100
1. Sitaram	15000	60	FD for 5 yrs.	Any Nationalised Bank		
कुल	25000	100				

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.07.15 16:36:15 IST
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI